नई दिल्ली, 5 मार्च, 2007

**सा.का.नि. 37.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1989, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ इंजीनियर/मुख्य नक्शानवीस के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलूर में कनिष्ठ अभियंता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, कनिष्ठ अभियंता, भर्ती नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कनिष्ठ अभियंता | 6* (2007)<br>*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) | साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह "ख") अराजपत्रित, अननुसचिवीय | 5500-175-9000 रु. | चयन |

| सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
| नहीं | 30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)<br>**टिप्पण** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, | (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान या समतुल्य में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ।<br>(2) सर्वे और डिजाइन में दो वर्ष का अनुभव ।<br>**टिप्पण 1** : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । |

| | 7 | 8 |
|---|---|---|
| | नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) | **टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।** |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|
| 9 | 10 |
| आयु : नहीं, शैक्षिक अर्हता : हां | सीधे भर्ती और प्रोन्नति के लिए दो वर्ष |

| **भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| 33.33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 66.67% सीधी भर्ती द्वारा । | **प्रोन्नति** : केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलूर में 5000-150-8000 रुपए के वेतनमान में ऐसे नक्शानवीस, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।<br>**टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>**प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी—<br>(क) (1) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या<br>(2) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5000-150-8000 रुपए के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति के पश्चात् नक्शानवीस की उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है, और<br>(ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो ।<br>**टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । |

| 12 |
|---|
| टिप्पण 2–प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्त से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । |
| टिप्पण 3–प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| 13 | 14 |
| **समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) :**<br>1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलूर –अध्यक्ष<br>2. अवर सचिव (मात्स्यिकी प्रशासन) –सदस्य<br>3. उप निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग), केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलूर –सदस्य | किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |

[फा. सं.-4-7/2000-मात्स्यिकी प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 5th March, 2007

**G.S.R. 37.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Group 'C' and Group 'D' posts) recruitment rules, 1989, in so far as they relate to the post of Junior Engineer/Chief Draughtsman, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Engineer in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. **Short title and commencement.**—

(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery Junior Engineer, Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection or non-selection posts | Whether benefit or added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Junior Engineer | 6* (2007) *Subject to variation dependant on workload. | General Central Service, (Group 'B') Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 5500-175-9000 | Selection | No |

| Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| Not exceeding 30 years (relaxation for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>**Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. | (i) Diploma in Civil Engineering from recognized board or Institute or equivalent.<br>(ii) two years experience in survey and designs.<br>**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2 :** The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Age : No<br>Educational qualifications : Yes | Two years for direct recruits and promotees. |

| Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|---|
| 11 | 12 |
| 33.33 percent by promotion failing which by deputation and 66.67 per cent by direct recruitment | **Promotion :**<br>Draughtsman in the pay scale of Rs. 5000-150-8000 in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, with three years regular service in the grade.<br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service being considered for promotion, their |

| | 12 |
|---|---|
| | seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Deputation :**<br>Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories :—<br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with three years service in the grade of draughtsman rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-150-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and<br>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column number 8.<br>**Note 1 :** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 3 :** The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| 13 | 14 |
| Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation ) consisting of :<br>1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Chairman<br>2. Under Secretary (Fishery Administration) —Member<br>3. Deputy Director (Civil Engineering), Central —Member<br>Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member | Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation. |

[F. No. 4-7/2006-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

617 GI/07 - 2